

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No.: - 01363-240614

Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक- 🗸 90 / 1 सी० (वन)

दिनांक 13 / 3 / 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी

देहरादून ।

विषय-

प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/12951/2015 गोचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार पर भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

इस कार्यालय का पत्रांक संo 483 / 1सीo वन दिनांक 12.3.2018 एवं उपवन संरक्षक केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर का आनलाइन ईoडीoएसo दिनांक 7.3.2018

उपरोक्त विषय कम में अवगत कराना है कि गौचर—सिदोली—धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार पर भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण इस कार्यालय के पत्रांक संठ 483/1सीठ वन दिनांक 12.3.2018 द्वारा कर दिय्ना गया है। जो

निम्नवत है:-

क0स0ं	प्रश्न	उत्तर
1	In respose to point No 4 of previous EDS dated 6-12-2017 related to tree enumeration, it is found that the number of tree now uploaded online at SI No 4, part II is 116, while in the hard copy submitted, the number of trees affected is 23, Hence there is discrepancy.	part II में संशोधन उपवन संरक्षक केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर के स्तर से किया जाना है।
2	In respose to SI NO. 5 of this office EDS dated 06.12.2017 related to submission of original hard copy of document the state Govt has mentioned that it was already sent earlier vide letter dated 5.9.2016, which is not correct. It is to inform that a photocopy of the whole proposal was submitted vide letter of 5.9.2016 while as per the guidelines issued by the MOEF, original copy of the proposal of all the essential documents and /or attested copy of all other documents are required to be submitted.	प्रस्ताव की मूल कॉपी इस कार्यालय के पत्रांक संव 483/1सी0 वन दिनांक 12.3.2018 द्वारा प्रेषित। संलग्न— प्राप्ति रसीद की छायाप्रति।
3	In the component break-up uploaded a para 2.4, part I online , it is seen that road component is not shown, therefore, necessary corrections may be made.	Road component में Location का उल्लेख कर दिया गया है।
4	In response to EDS point NO 4, it is observed that the patches of CA are not marked on survey of india toposheet map uploaded in part II	part II में संशोधन उपवन संरक्षक केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर के स्तर से किया जाना है।
5	upon DSS analysis. it is found that CA area marked as 8.715 ha comes to 4.829 ha instead. Therafore, as per the software conclusions, the area is far shorter than the required area. it is, therefore, requested to submit correct KML file of CA having area of 8.715 ha	वन भूमि प्रस्ताव का क्षे0 कुल 2.230 हे0 है। जिसके अनुसार क्षितिपूरक वृक्षारोपड हेतु 4.460 हे0 क्षेत्रफल में भूमि ली गयी है। पूर्व चयनित क्षितिपूरक वृक्षारोपड हेतु 4.460 हे0 भूमि (झिरकोटी लग्गा सिन्द्रवाणी) में 2.00 भूमि में सघन वन होने के कारण 2.00 हे. अतिरिक्त भूमि ग्राम बौंला सेरा में ली गयी है। सी.ए. हेतु 2 स्थल प्रस्तावित किये गये है।अतः उपरोक्तानुसार दोनो KML मेंप सही है।
6	Hard copy of the proposal has not been submitted so far.	प्रस्ताव की मूल कॉपी इंस कार्यालय के पत्रांक सं(483 / 1सी0 वन दिनांक 12.3.2018 द्वारा प्रेषित। संलग्न— प्राप्ति रसीद की छायाप्रति।

संलग्न -1. पत्रांक सं० 483/1सी० वन दिनांक 12.3.2018 की छायाप्रति।

2- प्राप्ति रसीद की छायाप्रति।

भवंदीय) अधिशासी अभियन्ति । 3 12 अस्थाई खण्ड, लोठनिठविठ रेगीचुर (चमोसी)



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No.: - 01363-240614

Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक- 483 /1 सी0 (वन)

दिनांक 12/03 / 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,

इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी

देहरादून।

विषय-

प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/12951/2015 गोचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार पर भारत सरकार

द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

उपवन संरक्षक केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर का आनलाइन ई०डी०स० दिनांक 7.3.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय के कम में अवगत कराना है कि गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार पर लगायी गयी

भागत्नियों का निराकरण बिन्दतार कर दिया गया है।

जापारतय	का निराकरण बिन्दुवार कर दिया गया है।	
क0स0ं	प्रश्न	उत्तर
1	In respose to point No 4 of previous EDS dated 6-12-2017 related to tree enumeration, it is found that the number of tree now uploaded online at SI No 4, part II is 116,	part II में संशोधन उपवन संरक्षक केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर के स्तर से किया जाना है।
9	while in the hard copy submitted, the number of trees affected is 23, Hence there is discrepancy.	
2	In respose to SI NO. 5 of this office EDS dated 06-12-2017 related to submission of original hard copy of document the state Govt has mentioned that it was already sent	प्रस्ताव की मूल कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। संलग्न- प्रस्ताव की मूल प्रति।
	earlier vide letter dated 5-9-2016, which is not correct. It is to inform that a photocopy of the whole proposal was	Tien - Attird an de Aitti
	submitted vide letter of 5-9-2016 while as per the guidelines issued by the MOEF, original copy of the proposal of all the essential documents and /or attested copy of all other documents are required to be submitted.	
3	In the component break-up uploaded a para 2.4, part I online, it is seen that road component is not shown, therefore, necessary corrections may be made.	Road component में Location का उल्लेख कर दिया गया है।
4	In response to EDS point NO 4, it is observed that the patches of CA are not marked on survey of india toposheet map uploaded in part II	part II में संशोधन उपवन संरक्षक केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर के स्तर से किया जाना है।
5	upon DSS analysis. it is found that CA area marked as 8.715 ha comes to 4.829 ha instead. Therafore, as per the software conclusions, the area is far shorter than the	वन भूमि प्रस्ताव का क्षेठ कुल 2.230 हेठ है। जिसके अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपड हेतु 4.460 हेठ क्षेत्रफल में भूमि ली गयी है। पूर्व चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपड हेतु 4.460
	required area. it is, therefore, requested to submit correct KML file of CA having area of 8.715 ha	हे0 भूमि (झिरकोटी लग्गा सिन्द्रवाणी) में 2.00 भूमि में सघन वन होने के कारण 2.00 हे. अतिरिक्त भूि ग्राम बौंला सेरा में ली गयी है। सी.ए. हेतु 2 स्थल प्रस्तावित किये गये है। अतः उपरोक्तानुसार दोनो KML मेंप सही है।
6	Hard copy of the proposal has not been submitted so far.	प्रस्ताव की मूल कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-1- प्रस्ताव की मूल कापी 1 नं0

2- प्रस्ताव की 2 प्रतिया।

अधिशासी अभियन्ती अस्थाई खण्ड,लो०निवेति० 3 गौन्सर (चमोली)

तददिनांक

प्रतिलिपि :- उपवन संरक्षक केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर को इस अनुरोध के साथ कि पूर्व संशोधन करने की कृपा करें।

अधिशासी अभियन्ता खण्ड,लो०नि०वि०

/ 1सी0 (वन)



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (वमोनी)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक- 483 /1 सी० (वन)

सेवा में

विमांक /2/03 /2018

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी वेहरावन ।

दहरादून

विषय-

प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/12951/2015 गोधर-सिवोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार पर भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— महोदयः उपवन संरक्षक कंदारनाथ वन्यजीव प्रमाग गोपेश्वर का आनलाइन ईंग्डींंग्स्स विनांक 7.3.2018

जपरोक्त विषय के कम में अवगत कराना है कि गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विश्लार पर लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार कर दिया गया है। क0स0 प्रश्न

●0स0	प्रश्न	
1	In respose to point No 4 of previous EDS dated 6-12-2017 related to tree enumeration, it is found that the number of tree now uploaded online at SI No 4, part II is 116, while in the hard copy submitted, the number of trees affected is 23, Hence there is discrepancy.	जस्तर part II में संशोधन उपवन संस्कृत केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर के स्तर से किया जाना है।
2	In respose to SI NO. 5 of this office EDS dated 06-12-2017 related to submission of original hard copy of document the state Govt has mentioned that it was already sent earlier vide letter dated 5-9-2016, which is not correct. It is to inform that a photocopy of the whole proposal was submitted vide letter of 5-9-2016 while as per the guidelines issued by the MOEF, original copy of the proposal of all the essential documents and /or attested copy of all other documents are required to be submitted.	प्रस्ताव की मूल कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। संलग्न- प्रस्ताव की मूल प्रति।
3	In the component break-up uploaded a para 2.4, part I online, it is seen that road component is not shown, therefore, necessary corrections may be made.	Road component में Location का उल्लेख क विया गया है।
4	In response to EDS point NO 4, it is observed that the patches of CA are not marked on survey of india toposheet map uploaded in part II	part II में संशोधन उपवन संरक्षक केवारनाथ बन्यजी प्रमाग गोपेश्वर के स्तर से किया जाना है।
9	upon DSS analysis. It is found that CA area marked as 8.715 ha comes to 4.829 ha instead. Therafore, as per the software conclusions, the area is far shorter than the required area. It is, therefore, requested to submit correct KML file of CA having area of 8.715 ha	वन भूमि प्रस्ताव का क्षेठ कुल 2.230 हैंठ हैं। जिस्स्य अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपड हेतु 4.460 हैंठ क्षेत्रफल में भूषि ली गयी हैं। पूर्व चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपड हेतु 4.46 हेंठ भूमि (झिरकोटी लग्गा सिन्द्रवाणी) में 2.00 भूमि सघन वन होने के कारण 2.00 है. अतिरिक्त भूि गा बाँला सेरा में ली गयी हैं। सी.ए. हेतु 2 स्थल प्रस्ताविक किये गये हैं। अतः उपरोक्तानुसार वोनो KML मेंप सही है
6	Hard copy of the proposal has not been submitted so far.	प्रस्ताव की मूल कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संबार -1- प्रस्ताव की मूल कापी 1 नं0

प्रस्ताव की 2 प्रतिया।

प्राप्त विद्रा

े हिर्म अस्त नव्यक्त कि साम्य के क्यांग)

पत्रांक रहेराडून (वन)

तद्दिनांक

प्रतिलिपि :- उपवन संरक्षक केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर को इस अनुरोध के साथ कि पूर्व में अपने स्तर से

संशोधन करने की कृपा करें।

9/4

अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड से में अधिक मौचर

भवदीय

अस्थाई खण्ड, लोठनिठाति